संख्या-18/2015/203(1)/एक-14-2015-49(2)/95

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0, 96, महात्मा गांधी मार्ग,
इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग-14 लखनऊ दिनांक 20 अगस्त, 2015

विषय: जनपद-गोरखपुर के कतिपय ग्रामों को सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं से पृथक किये जाने की अधिसूचना का गजट में प्रकाशित किया जाना

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना संख्या-203/एक-14-2015-49(2)/95 दिनांक 20-08-2015 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इसे उत्तर प्रदेश के शासकीय साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए, प्रकाशित गजट अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

गिरीश चन्द्र
अनु सचिव ।

संख्या-18/2015/203(2)/एक-14-2015-49(2)/95तद्दिनांक

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-9, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-551/9-30ई/95 दिनांक 21 मई, 2015 के सन्दर्भ में प्रेषित।
2- जिलाधिकारी/ अधिलेख अधिकारी, गोरखपुर।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-14

The Governor is pleased to order the publication of following English translation of notifcation no-203/1-14/2015 dated Aug 20 , 2015 for general information.

NOTIFICATION

No-203/1-14/2015-49(2)/95
Lucknow: Dated: Aug. 20 , 2015

In exercise of the powers under section 48 of the U.P. Land Revenue Act, 1901(U.P. Act no III of 1901) the Governor is pleased to declare that the Survey and Record Operation in the three Village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Opernation vide Government Notification no. 323/1-14/2001-49(2)/95-rajaswa-14 dated January 29, 2001 U.P. shall be closed with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette.

Distric	Name of Tehsil	Pargana	Village
Gorakpur	Bansgan	Bhauwapar	Katya
Gorakpur	Chaurichaura	Haweli	Chaksathwa
Gorakpur	Chaurichaura	Haweli	Roha
Gorakpur	Sadar	Haweli	Karhiya

By order,

Suresh Chandra
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-14
संख्या-203/एक-14-2015-49(2)/95
लखनऊ दिनांक 20 अगस्त, 2015

अधिसूचना

यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901(यू0पी0ऐक्ट संख्या-3, सन् 1901) की धारा-48 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों, जिन्हें सरकारी अधिसूचना संख्या- 323/1-14-2001-49(2)/95 राजस्व-14 दिनांक 29 जनवरी, 2001 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाएं इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से बन्द हो जायेंगी।

जनपद	**तहसील का नाम**	**परगना का नाम**	**ग्रामों के नाम**
गोरखपुर	बॉसगाव	भौवापार	कटया
गोरखपुर	चौरीचौरा	हवेली	चकसतहवा
गोरखपुर	चौरीचौरा	हवेली	रोहा
गोरखपुर	सदर	हवेली	करहिया

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।